दिनांक: 23-06-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा लूट की योजना बनाते समय 03 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार , कब्जे से 01 बिना नम्बर प्लेट मोटरसाइकिल एंव अवैध अस्लाह बरामद

बरामदगी-

- 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट
- 01 देशी पिस्टल / 02 जिंदा कारतूस
- 01 नाजायज छूरा
- 01 नाजायज चाकू
- 02 क्लच वायर स्कूटर की
- 01 टार्च

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, लूट,चोरी व डकैती की घटनाओ की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमर पाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.06.2024 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम को मुखबिर खास द्वारा यह सूचना मिली की पुवांरका ब्लाक के सामने खाली पड़ी हुई जमीन पर बने कमरे में 03 संदिग्ध व्यक्ति अवैध अस्लाह के साथ दिखाई दिये हैं जो किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम जैसे ही पुँवारका ब्लाक के पास पहुँची तो मौके पर 03 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिये। पुलिस को अपनी तरफ आता देख तीनो संदिग्ध भागने का प्रयास करने लगे जिन्हें घेर घौटकर पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। तीनो शातिर अभियुक्तों की पहचान **1. विनय कुमार पुत्र सुखपाल निवासी मौहल्ला गढी मलूक थाना कोतवाली नगर सहारनपुर 2. अजय पुत्र जंगबहादुर निवासी ग्राम पीकी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर व 3.आकाश उर्फ कमल राणा पुत्र स्वर्गीय रणदीप निवासी ग्राम पुँवारका थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** के रुप में हुई। जिनके कब्जे से 01 बिना नम्बर प्लेट की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल, 01 देशी पिस्टल / 02 जिंदा कारतूस , 01 छूरा नाजायज , 01 चाकू नाजायज , 01 टार्च व 02 क्लच वायर स्कूटर की बरामद हुई। गिरफ्तार अभिक्तों के विरुद्ध बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 122/2024 धारा 398/401 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त आकाश व अजय ने एक स्वर में बताया कि हम दोनो कक्षा 12 वीं तक पढे लिखे हैं व अभियुक्त विनय ने बताया की मैं 10 वीं पास हुँ। हम तीनों मजदूरी का कार्य करते हैं। हमें अक्सर पैसों की तंगी रहती है। अपनी पैसो की जरुरत को पूरा करने के लिये हम सुनसान जगह पर लूट की योजना बना रहे थे। तभी वहाँ पुलिस टीम आ गई और हमें पकड़ लिया। अभियुक्त आकाश ने बताया कि मैं पहले भी दो बार जेल जा चुका हुँ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1.विनय कुमार पुत्र सुखपाल निवासी मौहल्ला गढी मलूक गली न0 1 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2.अजय पुत्र जंगबहादुर निवासी ग्राम पीकी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3.आकाश उर्फ कमल राणा पुत्र स्व0 रणदीप निवासी ग्राम पुवांरका थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त आकाश उर्फ कमल राणा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 201/24 धारा 279/338/304ए भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0- 112/23 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 01 देशी पिस्टल / 02 जिंदा कारतूस .32 बोर
- 01 छूरा नाजायज
- 01 चाकू नाजायज
- 02 क्लच वायर स्कूटर की
- 01 टॉर्च
- 01 मोटर साइकिल सम्पलेन्डर प्लस (बिना नम्बर प्लेट)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 श्री विजय सिहं, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2.उ0नि0 श्री रनपाल सिहं, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3.उ0नि0 श्री राजेश कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
4.है0कां0 221 संजीव कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
5.है0कां0 218 अय्यूब अली, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
6.है0कां0 113 विकास कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
7.है0कां0 953 हरेन्द्र कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 23.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे में गौकशी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 06 गोकशों को किया गिया गिरफ्तार, कब्जे से गोकशी करने के उपकरण बरामद

बरामदगी-

- **01 लकड़ी का गुटका**
- **01 रस्सी**
- **04 छुरी**
- **01 कुल्हाड़ी**

अवगत कराना है कि दिनांक 22.06.2024 को वादी उ0नि0 यशपाल सिंह द्वारा कासमपुर रजवाहे से बरामद गौवंशीय पशु का सिर व पुँछ की बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 96/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, गोकशी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मात्र 24 घण्टे गोकशी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 06 गोकशों **1. सब्बू पुत्र हनीफ निवासी ग्राम जानीपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 2. फरमान पुत्र इकबाल उर्फ बाला निवासी ग्राम जानीपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 3. तारिफ पुत्र आलिम निवासी ग्राम फैजाबाद थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 4. अनवार पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 5. राशिद पुत्र वली मोहम्मद निवासी ग्राम रहना थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 6. मुस्तकीम पुत्र असलम उर्फ असलू निवासी ग्राम रहना थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को कासमपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से गोकशी करने के उपकरण (01 कुल्हाडी , 04 छूरी , 01 रस्सी व 01 लकडी का गुटका) बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। हम सभी को अक्सर पैसों की तंगी रहती है। अपनी जरुरतो को पूरा करने के लिये जंगल में घूम रहे अवारा गौवंशो को पकडकर गोकशी करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1. सब्बू पुत्र हनीफ निवासी ग्राम जानीपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. फरमान पुत्र इकबाल उर्फ बाला निवासी ग्राम जानीपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. तारिफ पुत्र आलिम निवासी ग्राम फैजाबाद थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. अनवार पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. राशिद पुत्र वली मोहम्मद निवासी ग्राम रहना थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
6. मुस्तकीम पुत्र असलम उर्फ असलू निवासी ग्राम रहना थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

अभियुक्त सब्बू का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 35/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2.मु0अ0स0 103/2020 धारा 188 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3.मु0अ0स0 150/21 धारा 5क/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
4.मु0अ0स0 1/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त फरमान का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 1/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2.मु0अ0स0 150/21 धारा 5क/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

अभियुक्त तारिफ का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 203/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2.मु0अ0स0 204/2020 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

अभियुक्त अनवार का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 278/18 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

अभियुक्त राशिद का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 65/17 धारा 3/5क/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2.मु0अ0स0 200/17 धारा 3/5/8 गौवधअधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी-

- 01 लकड़ी का गुटका
- 01 रस्सी
- 04 छुरी
- 01 कुल्हाड़ी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 यशपाल सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 नरेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. हेका0 424 संजय धामा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. हेका0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

6. का0 1365 मंजीत थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
7. का0 2319 दानवीर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
8. का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
9. का0 2028 प्रवीण कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांकः 23.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित / वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.06.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **संदीप पुत्र करेशन निवासी ग्राम मल्लीपुरा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को संबंधित वाद सं0 293/19 मु0अ0सं0 229/18 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नानौता को ग्राम मल्लीपुरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पताः-

संदीप पुत्र करेशन निवासी ग्राम मल्लीपुरा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री जयवीर सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर

2. उ0नि0 रामचरण सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, निशांदेही पर चोरी गए गन्ने को बेचकर प्राप्त रूपयों में से 830/- रुपये बरामद

थाना सरसावा पर दिनांक 25.12.2023 को वादी श्री ब्रजपाल सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा जिला सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बावत वादी के खेत से 07 क्विंटल गन्ना चोरी कर कोल्हू पर बेच देने के संबंध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 355/2023 धारा 379 भादवि बनाम नितिन पुत्र सतपाल निवासी ग्राम झबीरण व अंकित पुत्र राजपाल निवासी ग्राम झबीरन थाना सरसावा पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सतयेन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के वांछि अभियुक्त **अंकित पुत्र राजपाल निवासी ग्राम झबीरन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को व्यापी नशा मुक्ति आश्रम बिजनौर के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही पर मुकदमा उपरोक्त में चोरी गए 07 क्विंटल गन्ने को बेचकर प्राप्त रुपयों में से 830/- रुपये की बरामदगी हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी ।मुकदमा उपरोक्त मे दो अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त अंकित उपरोक्त ने बताया की मैं कम पढा लिखा हूँ व बेरोजगार हूँ तथा नशा करने का आदि हूँ। अपने नशे की लत को पूरा करने के लिये मैंने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर खेत से गन्ने की चोरी की थी। गन्ने को बेचकर जो रुपये मिले वो हमने आपस में बाँट लिये। पुलिस टीम को मैंने अपने घर से दीवार में ईंट के नीचे रखे 830/- रुपये जो गन्ने को बेचकर प्राप्त रुपयों में से बचे थे बरामद करा दिये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित पुत्र राजपाल निवासी ग्राम झबीरन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 महेश सिंह, थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर
2.यूटी उ0नि0 सुरेन्द्र शर्मा थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर